न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमांक /एक/2017 दिनांक– /01/2017

R 252-I-17

दादे तनय तुलसी अहीर(यादव),

निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

.................आवेदक

वनाम

1– प्रकाश, 2– सीताराम, 3– जाहर,

4– बिन्द्रावन, 5– प्रेमलाल, सभी पुत्रगण घेसू यादव,

सभी– निबासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़,

.............अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी इस माननीय न्यायालय में ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक 43, दिनांक 06/06/2014 पर तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/07/2014 से परिवेदित होकर प्रस्तुत कर रहा है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा नंबर 266, 267, 268 रकवा कमशः 0.559 हैक्टेयर, 1.604 है0 तथा 1.724 हैक्टेयर आवेदक एवं उसके बड़े भाई घंसू तनय तुलसी यादव के नाम पर शामिल शरीक रूप से 1/2 हक में बर्ष 1969–70 से लगातार दर्ज थी। जो कि 2011 तक लगातार दर्ज रही। बर्ष 2010–11 में नामांतरण पंजी कमांक 3 तहसीलदार टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 15/12/2011 के द्वारा घंसू तनय तुलसी के हिस्सा खसरा नंबर 266 में से 0.070 हैक्टेयर भूमि पर अनिल तनय लक्षमन प्रसाद का नाम दर्ज हो गया तथा पंजी कमांक 06 आ0 दि0 15/12/2011 के द्वारा घंसू तनय तुलसी के ही हिस्सा में से ही

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 252–एक / 2017 जिला टीकमगढ़

दादे विरूद्ध प्रकाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20/02/2019	आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ट श्उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, टीकमगढ़ की नामांतरण पंजी कमांक 43 में पारित आदेश दिनांक 06–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकगमढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर टीकगमढ़ के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 20/02/2019 सदस्य	